वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /602020 दिनांक: नवम्बर ,0/92020

प्रेस नोट

थाना चौक पुलिस द्वारा भीखाशाह गली स्थित दुकान में छापा मारकर बिना लाइसेंस अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखों का/भण्डारण किये गये कुल 721.पटाखा/किलोग्राम अवैध विस्फोटक 3 बरामद , अभियुक्त फैसल खॉन गिरफ्तार।

आगामी त्यौहार दीपावलीछठ के दृष्टिगत वरिष्ठ अधीक्षक वाराणसी द्वारा अवैध विस्फोटक सामाग्री व पटाखों / संग्रह करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध/को बिना लाइसेंस के चोरी छिपे विक्रयचलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चौक के उ -घनश्याम मिश्र 0नि0चौकी प्रभारी पियरी मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान/क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि भीखाशाह गली स्थित फैसल खॉन द्वारा अपनी दुकान में बिना लाइसेंस के चोरी छिपे पटाखा/विस्फोटक पदार्थो का भण्डारण किया गया है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उघनश्याम मिश्र द्वारा मय हमराह पुलिस बल के त्वरित कार्यवाही करते हुए भीखाशाह 0नि0 721 बोरी में रखे कुल 31 गली में पहुँचकर फैसल खॉन की दुकान में छापा मारकर. किलोग्राम 3अवैध विस्फोटक / पटाखाको बरामद किया गया तथा अभियुक्त **फैसल खाँन को** समय करीब 22. बजे गिरफ्तार 25कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चौक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- फैसल खाँन पुत्र स्व0 जावेद खान निवासी सी 6/97 बाग बरियार सिंह थाना चेतगंज जिला वाराणसी उम्र करीब 32 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 31 बोरी में रखा कुल 721.3 किलोग्राम अवैध विस्फोटक/पटाखा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 घनश्याम मिश्र-चौकी प्रभारी पियरी, हे0का0 भूपेन्द्र सिंह, का0 रणधीर यादव व का0 कपिल सरोज थाना चौक, जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 61/2020 दिनांक: नवम्बर ,0/92020

प्रेस नोट

डीसीएम ट्रक में अवैध शराब भरकर तस्करी हेतु शराब प्रतिबन्धित प्रदेश बिहार ले जा रहा शराब तस्कर थाना रोहनियां पुलिस द्वारा गिरफ्तार 205 कब्जे से ,पेटी में कुल लीटर 1822 अवैध अंग्रेजी शराब इम्पीरियल ब्लू ब्राण्ड जिसकी अनुमानित कीमत लाख रुपये 35 है , बरामद।

दिनांक 08/11/2020 को थाना रोहनियां के उ0नि0 गौरव पाण्डेय मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र , वाहन में/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति अखरी बाईपास पर मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति डीसीएम ट्रक संख्याः यूपी-60 टी-5612 में अवैध अंग्रेजी शराब लादकर हरियाणा से बिहार बेचने के लिए ले जा रहा है-अभी , यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प् ,अभी औराई जनपद भदोही क्रास किया हैराप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के लठिया बाईपास पर पहुँचकर आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जाने लगी कि थोड़ी ही देर मे उक्त डीसीएम औराई की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिसे टार्च की रोशनी दिखाकर एवं संकेत से रूकने का इशारा किया गया तो ट्रक चालक तेज गति से लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए पुलिस टीम को कुचलकर जान से मारने का प्रयास करते हुए भागने लगा। मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा अपने आपको बचाते हुए ट्रक का पीछा कर ट्रक को रोककर चालक को पकड़ लिया गया तथा ट्रक की तलाशी ली गयी तो उसके अन्दर से 205 पेटी)76 पेटी इम्पीरियल ब्लू शीशी 750 ML कुल 912 बोतल, 67 पेटी में 1608 शीशी-375 ML, 48 पेटी में 2304 शीशी-180 ML, 14 पेटी एपीसोड गोल्ड व्हीस्की फार सेल इन हरियाणा 672 शीशी 180 ML (कुल 1822 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब ,जिसकी कुल अनुमानित कीमत 35 लाख रुपये हैबरामद हुई , । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त सुखविन्दर सिंह को 22.बजे गिरफ्तार कर अग्रिम 15 विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- सुखबिन्दर सिंह पुत्र हरीसिंह निवासी पोलड़ थाना सिवन जिला कैथल हरियाणा उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद डीसीएम ट्रक संख्याः यूपी-60 टी-5612
- 76 पेटी इम्पीरियल ब्लू 912 शीशी 750 ML, 67 पेटी में 1608 शीशी-375 ML, 48 पेटी में 2304 शीशी-180 ML व 14 पेटी एपीसोड गोल्ड व्हीस्की फार सेल इन हरियाणा 672 शीशी 180 ML
- कुल 205 पेटी में 1822 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जिसकी कुल अनुमानित कीमत 35 लाख रुपये।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1 - प्रभारी निरीक्षक रोहनियां-परशुराम त्रिपाठी ,उ0नि0 गौरव पाण्डेय ,उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार तिवारी, हे0का0 बृजेश कुमार पाण्डेय, का0 भावेश कुमार मिश्रा व का0 आदित्य कुमार थाना रोहनियां जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक

सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /622020 दिनांक: नवम्बर ,0/92020

प्रेस नोट

दिनांक 08.11. को 2020थाना चेतगंज पुलिस को देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो हबीबपुरा चेतगंज का रहने वाला है, अपने मकान के अन्दर भारी मात्रा मे विस्फोटक पदार्थ पटाखा रखकर/ बिना लाइसेन्स के बेच रहा है ,जबकि आस-पास बहुत घनी आबादी है, कोई दुर्घटना होने पर जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर थाना चेतगंज पुलिस मुखबिर के साथ हबीबपुरा पहुंची। जहाँ उक्त घर दिखाकर मुखबिर मौके से हट गया। पुलिस टीम द्वारा उक्त मकान के प्रथम तल पर एक कमरे सेपेटी 15 पटाखा बरामद/विस्फोटक पदार्थकिया गया जिसका वजन ,लगभग किग्रा 300है। बरामद पटाखों को रखने के सम्बन्ध में महेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल गुप्ता निवासी सी 9/269-A हबीबपुरा थाना चेतगंज वाराणसी उम्र लगभग वर्ष 35से लाइसेन्स मांगा गया तो नहीं दिखा सका। महेन्द्र कुमार उपरोक्त को समय लगभग 22. बजे पुलिस 30 हिरासत में लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा मु201 0सं0अ0/3 धारा 2020/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 व भादवि 336 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*-**

- महेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल गुप्ता निवासी सी 9/269-A हबीबपुरा थाना चेतगंज वाराणसी उम्र लगभग 35 वर्ष

***बरामदगी का विवरण*-**

- 15 पेटी में लगभग 300 किलोग्राम अवैध विस्फोटक पदार्थ/पटाखा

***गिरफ्तारी*-बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण/**

- उ.नि. मिथिलेश यादव चौकी प्रभारी पानदरीबा, उ.नि. श्रीप्रकाश सिह चौकी प्रभारी लहुराबीर, का. दिनेश कुमार यादव, का.बृजबिहारी ओझा, का. सचिन सिह, का. मुकेश कुमार यादव, म.का. गुडिया दूबे थाना चेतंगज जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

नाम, मुहल्ला/मजरे
महेन्द्र कुमार सम्बन्धित अपराध संख्या 201/2020

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /632020 दिनांक: नवम्बर ,0/92020

प्रेस नोट

आज दिनांक 09.11. को 2020थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु322 0सं0अ0/279 धारा 2020//ए304427 भा से सम्बन्धित चालक शिवशंकर यादव 0वि0द0पुत्र राजाराम यादव निवासी रमौली चहनिया थाना सकलडीहा जिला चन्दौली को एफसीआई तिराहे के पास से समय करीब 11.बजे 35 गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- शिवशंकर यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी रमौली चहनिया थाना सकलडीहा जिला चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 प्रकाश सिंह चौहान व का0 मोहन कुमार थाना मण्डुवाडीह वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /642020 दिनांक: नवम्बर ,0/92020

प्रेस नोट

आज दिनांक 09/11/ को 2020थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु139 0सं0अ0/380 धारा 2020/ भादवि 411से सम्बन्धित अभियुक्त अफजल पुत्र पप्पू ड्राइवर निवासी जे24 / 63एन ख्वाजापुरा गड़हिया थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र वर्ष को उसके 19 घर से समय करीब 14.बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा 00 अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***पूछताछ विवरण*-**

पूछताछ में अफजल ने बताया कि मैंने नेहाल और सुब्हान अल्लाह के साथ मिलकर फैशन जोन लड्डनपुरा की दुकान से कपड़ा व कुछ अन्य सामान चोरी किया था, लेकिन नेहाल के पकड़े जाने पर घर छोड़कर भाग गया था। चोरी का कुछ सामान नेहाल के पास व कुछ मेरे पास था तथा कुछ सामान हमनें राह चलते लोगों को बेच दिया था।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*-**

- अफजल पुत्र पप्पू ड्राइवर निवासी जे 24/63 एन ख्वाजापुरा गड़हिया थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र 19 वर्ष

***बरामदगी का विवरण* -**

- एक बेल्ट VERSAEL ब्राउन कलर, एक पर्स STICKER ब्राउन कलर, एक टोपी जालीदार नीले रंग, चार अदद लोवर क्रमशः KALVIN KLEN 34 साइज रंग नीला, CHAMPION जालीदार नीला रंग 34 साइज, स्पोर्ट्स प्लेटिनम 36 साइज, नाइक ब्लैक तथा टीशर्ट 2 अदद क्रमशः WHITE ROSE लाल रंग व CHICAGO AMERICAN काली बांह

***गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण*-**

- उ.नि. संदीप कुमार तिवारी, उ0नि0 अतुल कुमार त्रिपाठी, का. उजाला अंसारी व का. धीरेन्द्र यादव थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

दिवसाधिकारी उ०नि० रामसागर गुप्ता
रात्रि अधिकारी उ०नि० विनय तिवारी
का०मु० संजय यादव (दि)
का०मु० जिल्लुर्रहमान (रात)
कोई भी बैंक आपसे आपका बैंक खाता संख्या, ATM कार्ड का विवरण, ATM पिन नम्बर, OTP आदि नहीं पूछता है।
यदि आपसे फोन पर कोई भी स्कीम बताकर (इश्योरेंस, लक्की ड्रा, मोबाईल टावर घर बैठे पैसा कमाए) किसी बैंक अकाउंट में सिक्योरिटी के नाम पर पैसा जमा करने के लिए बोला जाये तो समझ जायें कि आपके साथ ठगी हो रही है।
फोन पर झांसे में आकर किसी भी बैंक अकाउंट मे पैसा न जमा करें और न ही किसी को ATM या बैंक अकाउंट की जानकारी दें।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /652020 दिनांक: नवम्बर ,0/92020

प्रेस नोट

दिनांक 09.11.2020 को जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा गैंग लीडर सुजीत सिंह की भूमि/सम्पत्ति जिसकी कुल कीमत5 -,49,57,600/-(पाँच करोड़ उन्चास लाख सत्तावन हजार छ: सौ रुपये (है ,को कुर्क करने हेतु आदेश निर्गत किया गया।

आज दिनांक 09.11.को जिला 2020 मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु 0सं0अ0 /02862020 धारा 3(1) उ अधिनियम (निवारण) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप 0प्र0 14 में उक्त अधिनियम की धारा 1986(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैंग लीडर सुजीत सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह निवासी ग्राम बेलवा थाना फूलपुर वाराणसी द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने व अपनी पत्नी के नाम पर अर्जित की गयी जनपद वाराणसी में स्थित कुल 5,49,57,600 रु की 0भूमि/सम्पत्ति को तात्कालिक प्रभाव से कुर्क किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया। सम्पत्ति का विवरण निम्नवत है-

1. *ग्राम बेलवा में आ0 नं0 822/2 क्षेत्रफल 0.8560 हे0 जिसकी वर्तमान कीमत 1,88,32,000/- रूपये है जो अभियुक्त सुजीत सिंह के नाम दर्ज है।*
2. *ग्राम बेलवा आ0नं0 822/1 क्षेत्रफल 0.315 हे0 जिसकी वर्तमान कीमत 77,22,000/- रूपये है जो अभियुक्त की पत्नी नीलम सिंह के नाम दर्ज है।*
3. *ग्राम बेलवा में आ0नं0 169 क्षेत्रफल 0.466 हे जिसकी कीमत 87,48000/- रूपये है जो अभियुक्त की पत्नी नीलम सिंह के नाम से दर्ज है।*
4. *ग्राम बेलवा आ0नं0 174 क्षेत्रफल 0.146 हे0 जिसकी कीमत 26,28,000/- रूपये है जो अभियुक्त की पत्नी नीलम सिंह के नाम से दर्ज है।*
5. *ग्राम बेलवा आ0न0 865 क्षेत्रफल 0.0880 हे0 जिसकी वर्तमान कीमत 14,08,000/- रूपये है जो अभियुक्तत की पत्नी नीलम सिंह के नाम से दर्ज है।*
6. *ग्राम बेलवा आ0नं0 1058 क्षेत्रफल 0.0130 हे0 जिसकी वर्तमान कीमत 2,86,000/- रूपये है जो अभियुक्त की पत्नी नीलम सिंह के नाम से दर्ज है।*
7. *ग्राम बेलवा आ0नं0 350 क्षेत्रफल 0.5790 हे0 जिसकी वर्तमान कीमत 1,27,38,000/- रूपये है जो अभियुक्त की पत्नी नीलम सिंह के नाम से दर्ज है।*
8. *ग्राम लखमीपुर आ0नं0 159 क्षेत्रफल 0.2060 हे0 जिसकी वर्तमान कीमत 25,95,600/- रूपये है अभियुक्त की पत्नी नीलम सिंह के नाम से दर्ज है।*

अभियुक्त का विवरण-

- सुजीत सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह निवासी ग्राम बेलवा थाना फूलपुर वाराणसी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0286/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना फूलपुर वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 265/2019 धारा 147/323/504/506/308/427 भादवि थाना फूलपुर वाराणसी
3. मु0अ0सं0 483/2020 धारा 386/120बी भादवि थाना कैण्ट वाराणसी
4. मु0अ0सं0 119/2020 धारा 386/504/506/507 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /662020 दिनांक: नवम्बर ,0/92020

प्रेस नोट

दिनांक 09.11.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनपद में कानूनशान्ति / व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त राजपत्रित अधिकारियों थानाध्यक्षों के साथ यातायात लाईन स्थित सभागार में अ/व समस्त प्रभारी निरीक्षकपराध गोष्ठी आयोजित की गयी। इस दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये-

1. आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत सभी बाजारोंभाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता रखें।-भीड़/
2. धनतेरस दीपावली त्यौहारों के दृष्टिगत/सर्राफा बाजारों में विशेष सतर्कता रखते हुए नियमित ड्यूटी लगायें।
3. यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करें।
4. कोविड-19 के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
5. असामाजिकआपराधिक तत्वों की चेकिंग हेतु सादे वस्त्रों में विशेष टीमें गठित कर नियमित सघन / चेकिंग कराना सुनिश्चित करें।
6. महिला हेल्प डेस्क पर समस्याओं की गंभीरता से सुनवाई करते हुए त्वरित निस्तारण करायें।
7. बाहरी अपराधियों व घुमन्तू प्रवृत्ति के व्यक्तियों की तलाश हेतु नियमित रूप से होटल, सराय, धर्मशाला, गेस्ट हाउस आदि की प्रभावी चेकिंग करें।
8. प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं की समस्याओं की जानकारी हेतु शिकायत पेटिका लगायी जाये।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

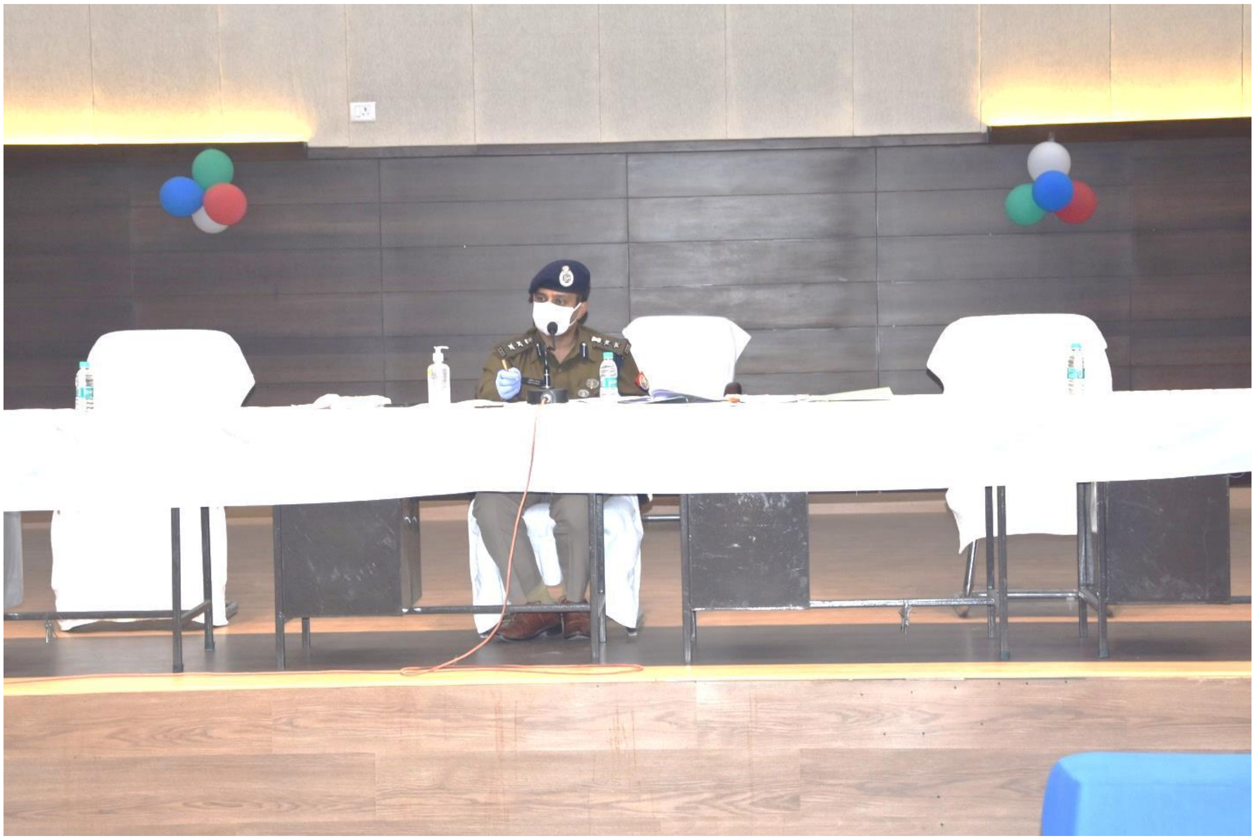

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-ssspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /672020 दिनांक: नवम्बर ,0/92020

प्रेस नोट

आज दिनांक 09.11.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा यातायात लाईन स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में गैंगेस्टर एक्ट के अपराधियों की सम्पत्ति के जब्तीकरण हेतु कार्यवाही करने ,आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत की जाने वाली तैयारियों, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने, आगामी त्यौहारों दीपावलीछठ पूजा/ के दृष्टिगत सभी बाजारों भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता रखने आदि-भीड़/के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये। उक्त बैठक में जनपद के पुलिस/प्रशासनिक विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

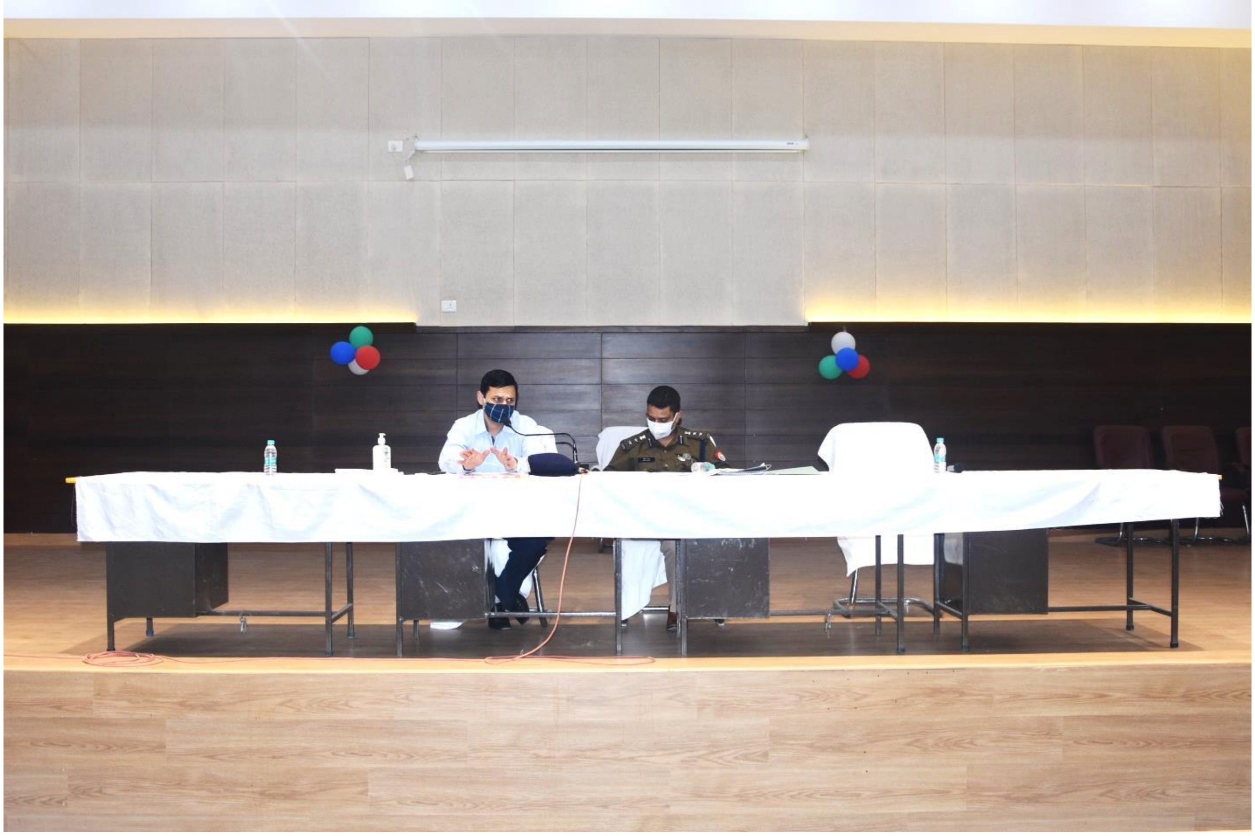

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 68/2020 दिनांक: नवम्बर ,0/92020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 09-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए* कुल 46 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *04 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये *कुल 853 व्यक्तियों से रु0-30,4 -/00जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1917 वाहनों का चालान, 08 वाहनों को सीज तथा 166 वाहनों से रु0-1,34,200/ -समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
वाराणसी फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 69/2020 दिनांक: नवम्बर ,0/92020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति"* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 09.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूलकॉलेज व सार्वजनिक स्थलो/ं पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टरविडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन /आडियों/पम्पलेट/बैनर/) नम्बरों1121098,,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरुकता अभियान चलाते हुए 134 स्थानों पर प्रचार प्रसार कर कुल-3709 महिलाओंबालिकाओं को जागरुक किया गया। मिशन शक्ति से / सम्बन्धित1172 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 137 स्थानों पर भ्रमणचेकिंग / करते हुए कुल1018 महिलाओंबालिकाओं को जागरुक किया गया तथा मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही / 0 करते हुए8 के विरुद्ध ,पुलिस एक्ट की कार्यवाही 34 01 के विरूद्ध सीआरपीसी की कार्यवा 290ही , 01 के विरूद्ध ,भादवि की कार्यवाही 18807 के विरूद्ध ,सीआरपीसी की कार्यवाही 15104 व्यक्तियों से पूछताछ ,29 मनचलों को हिदायत एवं 20 मनचलों सख्त चेतावनी दी गयी ।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।